crore villages etc. the progress of coverage in 1993-94 could not be satisfactory.

(e) The following remedial measures have been taken;

(i) The progress monitoring system has been revised to know the details upto habitation level.

(ii) Progress review meeting with Rural Water Supply Secretaries of States and Chief Engineers, PHED was held on 2-8-94 wherein the States have been asked to draw up detailed action plan for the remaining two years of VIII Five Year Plan immediately for fulfilment of the objectives of RGNDAM

(iii) Research and Development relevant to the sector needs have been given adequate emphisis.

"कापार्ट" द्वारा स्वयंसेवी संगठनों को सहायता

2429. श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला :
श्री आस मोहम्मद :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) "कापार्ट" द्वारा कल्याणकारी गतिविधियों को प्रोत्साहन देने हेतु जिन स्वयंसेवी संगठनों को आज की तिथि में अनुदान और वित्तीय सहायता दी जा रही है, उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान ऐसे प्रत्येक संगठन को कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ग) उन संगठनों के नाम क्या हैं, जो अपने लेखे और रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत करते हैं; और

(घ) इन संगठनों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कहां तक सफलता मिली है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल): (क) और (ख) कापार्ट द्वारा स्वयंसेवी एजेंसियों को परियोजनायें चलाने के लिये वित्तपोषित किया जाता है, जिसके अन्तर्गत जवाहर रोजगार योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण महिला व बाल विकास कार्यक्रम लोक सहयोग, लाभार्थियों का संगठन, ग्रामीण प्रौद्योगिक विकास योजना, केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम और त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के क्षेत्र शामिल हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान कापार्ट द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं, सहायता दी गई स्वयंसेवी एजेंसियों की संख्या, स्वीकृत और रिलीज की गई राशि को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है (नीचे देखिए)।

(ग) और (घ) परियोजनाओं को स्वीकृत कर दिये जाने के बाद उपर्युक्त किस्तों में कापार्ट द्वारा निधियां रिलीज की जाती हैं। पहली किस्त रिलीज कर दिए जाने के बाद, स्वयंसेवी एजेंसी को एक उचित समय के भीतर निर्धारित प्रोफोर्मा में एक प्रगति रिपोर्ट देनी होती है। आमतौर पर इस अवस्था में भी परियोजनाओं की निगरानी की जाती है। मानिटर की संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा स्वयंसेवी एजेंसी से प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद निधियों की अगली किस्त रिलीज की जाती है। परियोजना के पूरा होने पर एजेंसी अन्तिम प्रगति रिपोर्ट, लेखा परीक्षित लेखा और उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करती है। लगभग सभी स्वयंसेवी एजेंसियों को इस प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। कुल मिलाकर स्वयंसेवी एजेंसियां जिनको कापार्ट द्वारा सहायता दी गई, वे लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ हुई हैं।

विवरण

(रुपये करोड़ों में)

वर्ष	परियोजनाओं की संख्या	एजेंसियों की संख्या	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि
1991-92 . . .	2505	1665	47.29	28.48
1992-93 . . .	2408	1646	45.49	36.04
1993-94 . . .	2331	1690	58.29	55.02
कुल : . . .	7244	5001	151.07	119.54

Scheme of Assistance to Rural Women in non-farm Development

2430. SHRI S. MADHAVAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) how many persons were benefited under the Scheme of Assistance to Rural Women in Non-Farm Development as on 30th June, 1994;

(b) what is the total amount distributed under this scheme;

(c) whether it is a fact that a new voluntary agency of rural women is not eligible to obtain loan under this scheme; and

(d) whether Government will extend this scheme to the newly-formed women's organisations with a view to encourage women's organisations with a view to encourage women's organisations in the rural areas?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI PATEL): (a) to (d) Under Integrated Rural Development Programme (IRDP) Special safeguards have been provided for assistance in the form of subsidy and Bank credit to rural women. Accordingly, 40 per cent of the beneficiaries should belong to rural women. During 1993-94, 8.52 lakh women beneficiaries have been provided assistance under IRDP and 0.46 lakh women provided assistance during 94-95 (upto June 1994). During 1993-94, Rs. 1406 crores credit mobilised and Rs. 800.31 crores subsidy disbursed to all assisted families under IRDP.

Under IRDP a sub-scheme viz. Development of women and Children in Rrural Areas (DWCRA) and it is meant for all rural women below poverty line engaged in farm and non-farm development. So far, 12,36,105 women have been benefited under DWCRA scheme since inception in 1982-83.

It is proposed to extend all Districts under DWCRA during the 8th Plan.

Finance Commission for Panchayats

2431. SHRI YERRA NARAYANASAMY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are considering the establishment of a Finance Commission for Panchayats;

(b) if so, the terms of reference thereof; and

(c) what steps are proposed to enhance financial viability of Panchayats?